प्रेस विज्ञप्ति

05.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोचीन आंचलिक कार्यालय ने 04.06.2025 को मलप्पुरम, कोझीकोड और कासरगोड में 06 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें प्रमुख आरोपी व्यक्तियों- मुहम्मद फैसल, चेरूर अहमद जलालुद्दीन, अब्दुल मनशीफ, नशीद केपी और अब्दुल रशीद के आवासों के साथ-साथ मेसर्स फेक्समी मैट्रेस एलएलपी के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, साथ ही उनके क्रिप्टोकरेंसी निवेश और आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए।

ईडी ने पिरामिड शैली की मनी सर्कुलेशन स्कीम के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने के आरोप में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स माई क्लब ट्रेडर्स (एमसीटी), इसके प्रबंध निदेशक मुहम्मद फैसल और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि माई क्लब ट्रेडर्स ने धोखाधड़ी वाली बाइनरी पिरामिड योजना संचालित की, जिसे मलेशियाई निवेश अवसर के रूप में गलत तरीके से प्रचारित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केरल में भोले-भाले निवेशकों से नकदी में पर्याप्त धन एकत्र किया गया। एकत्र किए गए धन को प्रिंसेस गोल्ड एंड डायमंड्स एलएलपी, टोल डील वेंचर्स और फेक्समी मैट्रेस एलएलपी जैसी शेल संस्थाओं के माध्यम से लूटा गया, जिसमें कुछ अपराध की आय को भारत से बाहर स्थानांतरित करने और प्रिंसेस गोल्ड एंड डायमंड्स एलएलपी द्वारा संचालित "माई गोल्ड" पहल जैसी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और गोल्ड स्कीम्स के माध्यम से भारत में फिर से प्रस्तुत किए जाने का संदेह है।

आगे की जांच जारी है।

****